न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं0 84/2020 प्रार्थना पत्र

1. शब्बीर मोहम्मद पिता लतीफ मोहम्मद गौरी जाति मुलमान निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
2. हारून मोहम्मद पिता लतीफ मोहम्मद गौरी जाति मुलमान निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
3. तोफिक मोहम्मद पिता लतीफ मोहम्मद गौरी जाति मुलमान निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

— प्रार्थीगण

//बनाम//

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा ।

— विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0रे0 एक्ट

प्रार्थीगण की और सेः— अधिवक्ता शम्भूलाल तेली उपस्थित

आदेश

दिनांकः— 31-5-22

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 ले0रे0एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा गादोला पटवार हल्का गादोला की खाता संख्या 187 आराजी नं. 994 रकबा 6 बीघा 6 विस्वा हैं नये आराजी नम्बर 1005 रकबा 1.5900 हैक्टेयर 1/2 हक हिस्से अनुसार खातेदारी में दर्ज चली आ रही हैं । साक्ष्य के रूप में जमाबंदी व मिलान क्षैत्रफल पेश हैं । आराजी नम्बर 1005 जिसके पुराने आराजी न. 994 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा है जिसके नये आराजी न. 1005 रकबा 1.5900 हैक्टेयर भुमि मेसे प्रार्थी के 1/2 हक हिस्सा प्रार्थीगण द्वारा हमेराम हीरालाल पिता गबुरजी जाति धाकड निवासी सरवानीया से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिसका नामांतरण करण संख्या 1592 दिनाक 22/10/2005 को को पुरानी जमाबंदी संवत् 2058—2061 के राजस्व कर्मचारीयों की गलती की वजह से सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही किया गया जबकी उक्त आराजी न. 1005 रकबा 1.5900 हैक्टेयर भुमि मेसे प्रार्थी के 1/2 हक हिस्सा अनुसार प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होनी चाहिए थी उक्त आराजी प्रार्थीगण के नाम 1/2 हक हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए जो राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

कर्मचारीयों की गलती की वजह से खातेदारी में प्रार्थीगण के नाम दर्ज नही की गई, जबकी मौके पर आराजी न. 1005 के 1/2 हक हिस्से पर वक्त खरीद से प्रार्थीगण का शांतिपुर्ण तरिके से कब्जा चला आ रहा है इसलिए प्रार्थीगण नवीन राजस्व रेकार्ड में पुराने रजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्षा ट्रेस में दर्ज कर तरमीम कर इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी के आराजी नम्बर 1005 रकबा 1.59 हे0 में खातेदार शब्बीर मो0 हारून मो0 तोफिक मो0 गोरी पिता लतीफ मो0 गोरी के नाम हिस्सा 1/2 दर्ज किया जाना प्रस्तावित कर हवाले से कब्जे अनुसार शुद्धीकरण किया जाने हेतु प्रस्तावित किया गया।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थी ने सभी प्रभावित खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है जो । बिना सभी प्रभावित पक्षों को सुने निर्णय दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विपरित होगा । प्रार्थीगण अपने पक्ष को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक31 .05.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा